



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }  
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/ओएचएसएमएस/एल -8000051.3 (नवीनीकृत)

Licence No. CRO/OHSMS/L-8000051.3 (Renewed)

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो  
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby  
grants/renews to

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड Nuclear Power Corporation of India Limited  
नरोरा एटोमिक पावर स्टेशन, Narora Atomic Power Station,  
नरोरा - 202 389 Narora - 202 389

जिला बुलंद शहर (यूपी)

Distt. Bulandshahr (U.P.)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रॉ) में उसी संख्या से सूची बद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS 18001:2007 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Occupational Health & Safety Management Systems Certification** in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (as) given above, and under the **Occupational Health & Safety Management Systems Certification** in accordance with

### IS 18001:2007

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत-नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद् द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 19 अगस्त 2014 to 18 अगस्त 2017. तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 19 August 2014 to 18 August 2017 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2015 के फरवरी माह के उन्नीसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित

Signed, Sealed and dated this Nineteenth day of February 2015

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS